संख्या- 336 /2025/119/नौ-9-2026-001-E-1762279

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 11 फरवरी, 2026**

विषय- नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 15.00 करोड़ (रू0 पंद्रह करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-लेखा/147/न0प्र0शो0स0/2025-26, दिनांक-22.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-003-प्रशिक्षण-03-नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान-42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 15.00 करोड़ (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) के सापेक्ष नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के अनुरक्षण एवं संचालन हेतु धनराशि रू0 15.00 करोड़ (रूपये पंद्रह करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त धनराशि को निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा कोषागार से आहरित कर नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के बैंक खाते में रखी जायेगी।

(2) निदेशक, नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित, शासन के वित्त विभाग तथा नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/ उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

(7) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27 मार्च, 2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 15.00 करोड़ (रूपये पंद्रह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2070000030300 नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 11-02-2026
16:40:55

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या-336 /2025/119/नौ-9-2026-001-E-1762279 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।